

## राजकोषीय घटनाक्रम

केन्द्र सरकार के वित्त साधन पिछले तीन वर्षों में काफ़ी हद तक समेकित हुए। इसके लिए कर-राजस्व में बढ़ोतरी से मदद मिली थी जो मुख्यतः अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किए गए उपायों और कम हो चुकी पेट्रोलियम कीमतों से जुड़ी सब्सिडी में की गई कमी से उपजी थी। खर्च करने की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ जब पूंजीगत व्यय की ओर धीरे-धीरे झुकाव होता दिखाई दिया। वर्ष 2016-17 में राजकोषीय परिणाम की विशेषता कर-राजस्व में हुई ज़बरदस्त वृद्धि रही थी, जो मुख्यतः पेट्रोलियम पर लगाए गए उत्पाद शुल्कों से उत्पन्न हुई थी, तथा वेतन/पेंशन-भिन्न राजस्व व्यय और उधारों का समेकन रही थी। वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में, एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित कठोर समेकन की बजाय क्रमिक समेकन के विकल्प का चयन किया गया, जिसमें चक्रीय दृष्टि से कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों और विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन कायम किया गया। ऐसा विशेषकर राज्य सरकारों के वित्त साधनों में आड़े आ रही बाधाओं के चलते किया गया जो “उदय” कार्यक्रम के अंतर्गत ‘डिस्कॉम की देनदारियों को उनके द्वारा वहन करने के रूप में दिखाई दीं। केन्द्र जीएसटी के पहले वर्ष में अपने वित्त-साधनों पर नजर रखे हुए हैं। राज्यों के वित्त-साधन अब कृषि ऋण की संभावित माफी के चलते दबाव में हैं। और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समेकन की प्रवृत्ति के चलते, वर्ष 2017-18 में सरकारी निवेश में होने वाली वृद्धि साधारण रह सकती है।

2.1 केंद्रीय बजट 2016-17 विरुद्ध वैश्वक मांग की परिस्थितियों के बाद भी बाह्य चालू खाता में सुधार, मंद मुद्रास्फीति और स्थिर घरेलू बृहत अर्थिक संभावनाओं के परिवेश में प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय बजट ने बृहत अर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को अपनाते हुए, वैश्वक मांग में मंदी के संकट को झेलने के लिए घरेलू मांग पर आश्रित रहने की ज़रूरत को मान्यता दी। द्वितुलन-पत्र की चुनौतियों से प्रभावित निजी निवेश शिथिल सा था। इस वर्ष की विशिष्ट चिन्ताएं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं तथा रक्षा-सेवा में वन-रैंक-वन-पेंशन लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की थीं। राज्यों के लिए चौदहवें वित्त आयोग के तहत अधिदेशित उच्च कर अंतरण को भी बनाये रखा जाना था। इस प्रकार 2016-17 की

राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था के लिए रक्षित इष्टतम स्थिति के बीच मिले-जुले उद्देश्यों के समूह का सामना करना पड़ा।

2.2 वर्ष 2016-17 पर ध्यान केन्द्रण के साथ भारत में राजकोषीय स्थिति में हुए सुधारों की समीक्षा कर रहे इस अध्याय को चार भागों—केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति, सामान्य सरकार की वित्तीय स्थिति और 2017-18 तथा इससे आगे की संभावनाओं में बांटा गया है।

### केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों की स्थिति

2.3 व्यय की दबावमूलक चिंताओं और एफआरबीएम की कार्ययोजना से संबंधित विरोधाभासी विचारों के बावजूद, 2016-17 के बजट ने पिछले वर्ष के स्तरों

से राजकोषीय, राजस्व और प्राथमिक घाटे के स्तरों को समेकित करने का निर्णय लिया (सारणी-1)। कुल मिलाकर 2016-17 में केंद्रीय सरकार का वित्तीय निष्पादन कर राजस्व में जबरदस्त वृद्धि होने, पूँजीगत व्यय की गति को बनाए रखने और वेतन/पेंशन-भिन्न राजस्व व्यय के समेकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस संयोजन से

सरकार अपने बजटीय स्तर के सापेक्ष कर-भिन्न राजस्व और ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियों में आई गिरावट के बावजूद, बजट घाटे को 2015-16 में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत से घटाकर 2016-17 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर ला सकी। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जो 2011-12 के अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तरों से 2012-13 में प्रारंभ

### सारणी 1. केंद्र सरकार के वित्तीय संकेतक

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 ब.अ.	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
(₹ लाख करोड़ में)					
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.77	13.76	15.16
सकल कर राजस्व	12.45	14.50	16.31	17.17	19.12
निवल कर राजस्व	9.04	9.44	10.54	11.02	12.27
कर-भिन्न राजस्व	1.98	2.51	3.23	2.74	2.89
ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियां(*)	0.51	0.63	0.67	0.64	0.84
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	11.53	12.58	14.44	14.40	16.00
कुल व्यय	16.64	17.91	19.78	19.75	21.47
राजस्व व्यय	14.67	15.38	17.31	16.85	18.37
पूँजी व्यय	1.97	2.53	2.47	2.90	3.10
वित्तीय व्यय घाटा	5.11	5.33	5.34	5.35	5.47
राजस्व घाटा	3.66	3.43	3.54	3.08	3.21
प्राथमिक घाटा	1.08	0.91	0.41	0.55	0.23
मैमो आइटम					
वर्तमान कीमतों पर जीडीपी	124.45	136.82	150.65	151.84	168.47
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)					
राजस्व प्राप्तियां	8.9	8.7	9.1	9.1	9.0
सकल कर राजस्व	10.0	10.6	10.8	11.3	11.3
निवल कर राजस्व	7.3	6.9	7.0	7.3	7.3
कर-भिन्न राजस्व	1.6	1.8	2.1	1.8	1.7
ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियां(*)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.3	9.2	9.6	9.5	9.5
कुल व्यय	13.4	13.1	13.1	13.0	12.7
राजस्व व्यय	11.8	11.2	11.5	11.1	10.9
पूँजी व्यय	1.6	1.8	1.6	1.9	1.8
वित्तीय व्यय घाटा	4.1	3.9	3.5	3.5	3.2
राजस्व घाटा	2.9	2.5	2.3	2.0	1.9
प्राथमिक घाटा	0.9	0.7	0.3	0.4	0.1

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान;

\*विनिवेश आगम शामिल है।

हुआ, 2016-17 में भी जारी रहा।

2.4 विगत तीन वर्षों में केंद्र सरकार के वित्तीय साधनों की स्थिति में हुए अधिकांश महत्वपूर्ण परिवर्तनों में ये शामिल हैं:-

- अतिरिक्त संसाधन जुटाने (विस्तार बाद में किया जाएगा) हेतु किए गए प्रयत्नों की सहायता से जीडीपी अनुपात की तुलना में कर जुटाने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ;
- व्यय में क्रमिक झुकाव निवेश व्यय की ओर होना और राजस्व व्यय का समेकन हुआ, जिनके परिणामस्वरूप जीडीपी की अपेक्षा राजस्व और राजकोषीय घाटों में उत्तरोत्तर गिरावट हुई (सारणी-1)।

2.5 राजकोषीय मानदंडों की वृद्धि दरें सारणी-2 में दिखाई गई हैं। व्यय की तुलना में गैर-सहज प्राप्तियों में हुआ क्रमिक सुधार इस सारणी में दृष्टव्य है।

#### क. राजस्व सूजन योजनाएं और परिणाम

2.6 केन्द्रीय सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों (एनडीआर) में अंतरण निवल कर राजस्व (निवल कर राजस्व), अन्य बातों के साथ-साथ, स्पेक्ट्रम नीलामी से हुई प्राप्तियां और लाभांश तथा लाभ सहित कर-भिन्न राजस्व और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र

के उद्यमों में विनिवेश से हुए आगम, शामिल हैं। बजट 2016-17 में निवल कर राजस्व में सुधारी हुई वृद्धि और कर-भिन्न राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि जो स्पेक्ट्रम नीलामी के आगमों से प्रेरित होने वाली थी, और विनिवेश के इष्टतम लक्ष्य के साथ सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि को लक्षित किया था। एनडीआर में कुल परिणाम लक्ष्य के लगभग अनुरूप रहा, परंतु इसके घटकों के योगदान तदनुरूपी बजट विहित लक्ष्यों से काफी भिन्न रहे। कर राजस्व की वृद्धि लक्ष्य से आगे निकल गयी और इससे कर-भिन्न राजस्व और विनिवेश-आगमों में रह गई कमियों की पूर्ति हो गयी।

2.7 कर-भिन्न राजस्व बजट विहित लक्ष्यों से बहुत कम स्पेक्ट्रम नीलामी से हुए आगमों में कमी के कारण रहा। इसी प्रकार, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां बजट विहित आंकड़ों से कम रहीं, क्योंकि विनिवेश से हुई आय कार्यनीतिक पूंजी के अधिकार-त्याग और सूटी (SUUTI) निवेश के प्रबंधन से हुई आय सहित 2016-17 की अवधि के दौरान बजट लक्ष्य ₹56,500 करोड़ और संशोधित अनुमान ₹45,500 करोड़ के विपरीत ₹46,247 करोड़ थी। यद्यपि विनिवेश से हुआ आगम बजटीय लक्ष्यों से पीछे रह गया तथापि, विनिवेश से प्राप्त संपूर्ण धनराशि और केंद्र सरकार के व्यय के लिए धन देने की इसकी सामर्थ्य, दोनों 2016-17 में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए (चित्र 1)। कुल


#### सारणी 2. वित्तीय संकेतकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	8.5	8.5	15.2	10.1
सकल कर राजस्व	10.8	4.4	16.8	11.3
निवल कर राजस्व	-0.5	27.0	9.1	5.3
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां( *)	23.0	22.3	0.9	33.0
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.1	9.1	14.5	11.1
कुल व्यय	6.7	7.6	10.3	8.7
राजस्व व्यय	6.9	4.8	9.5	9.0
पूंजी व्यय	4.8	28.6	14.7	6.7

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अनंतिम वास्तविक; ब.अ.: बजट अनुमान (\*) विनिवेश आगम शामिल है।

### चित्र 1. विनिवेश आगम



स्रोत: केन्द्रीय बजट

ऋण-भिन्न प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, यह 3.2 प्रतिशत बैठता है, जो पिछले पांच वर्ष के तदनुरूपी औसत से एक प्रतिशतांक से अधिक है।

2.8 वर्ष 2016-17 में सकल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः उत्पाद शुल्क के उत्साहजनक राजस्व एकत्रण के कारण विगत छह वर्ष में उच्चतम थी। 2016-17 के दौरान किए गए मुख्य कर उपाय इस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए हैं। प्रत्यक्ष कर के मामले में, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन ने वैयक्तिक आयकर से धनराशि एकत्रण में योगदान दिया (सारणी 3) और चालू वित्त वर्ष में भी ऐसा ही होने की काफी संभावना है।

2.9 उत्पाद शुल्क और सेवा कर से अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने के प्रयत्नों से पिछले दो वर्ष में अधिक धनराशि एकत्रित करने में पर्याप्त मदद मिली (सारणी 3)। दो उल्लेखनीय प्रयास तो स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर हैं। स्वच्छ भारत प्रकल्पों में योगदान के लिए पहला उपकर नवंबर 2015 में लगाया गया था तो कृषक कल्याण और कृषि कार्यों के वित्तीयन के उद्देश्य से दूसरा उपकर जून 2016 में लगाया गया है। ये मिलकर 2016-17 में सेवाकर राजस्व में बहुत बड़ी वृद्धि का कारण बने हैं। वस्तुतः सेवाकर के सकल संकलन में इन दो उपकरों का योगदान एक तिहाई रहा है। इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों से उत्पाद-शुल्क संकलन में वृद्धि ने कुल उत्पाद-शुल्क संकलन में दो तिहाई से अधिक योगदान दिया। जैसाकि आर्थिक समीक्षा के खंड-I में उल्लेख किया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, नकदी की कमी की अवधि के दौरान इन उत्पादों के लिए विशेष संदाय व्यवस्था के कारण, विमुद्रीकरण से काफी हद तक अप्रभावित रही। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि के साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयत्नों को 2016-17 में पेट्रोलियम उत्पादों से आबकारी-संकलन में हुई 40% की वृद्धि का कारण बताया गया। पिछले दो वर्ष में उत्पाद और सेवाकर संकलन आधिक्य को

### सारणी 3. केंद्र के मुख्य कर राजस्व


कर	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
(₹ लाख करोड़ में)					(वृद्धि प्रतिशत में)			
सकल कर राजस्व	12.45	14.50	17.17	19.12	9.8	16.5	18.4	11.3
निगम कर	4.29	4.53	4.85	5.39	8.7	5.7	7.0	11.1
वैयक्तिक आय कर	2.58	2.80	3.41	4.41	8.6	8.5	21.5	29.6
सीमा शुल्क	1.88	2.10	2.26	2.45	9.3	11.9	7.4	8.4
उत्पाद शुल्क	1.90	2.87	3.81	4.07	12.1	51.2	32.7	6.8
सेवा कर	1.68	2.11	2.55	2.75	8.5	25.9	20.4	8.0

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान;

प्रतिबिम्बित करते हुए जीडीपी में अप्रत्यक्ष करारों का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया (चित्र 2)।

### चित्र 2. कर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में




स्रोत: सीजीए

सीआईटी=निगम कर; पीआईटी=वैयक्तिक आयकर; सीडी=सीमा शुल्क; ईडी=उत्पाद शुल्क; एसटी=सेवा कर

2.10 वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान कर संग्रह में हुए सुधार से सृजित अधिकांश राजकोषीय गुंजाइश, महत्व के क्रम में, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैयक्तिक आय कर के कारण हुई (चित्र 3)। अप्रत्यक्ष कर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क तथा सेवाकर-में विगत तीन वर्ष में कुल मिलाकर जीडीपी के 1.3 प्रतिशतांक तक सुधार हुआ। संचयी कर नीति में किए गए परिवर्तन के कारण कर प्राप्ति विगत तीन वर्ष में जीडीपी के 0.8 प्रतिशत से अधिक परिगणित हुई। भविष्य में, कर संग्रह में सुधार

### चित्र 3. 2013-14 से 2016-17 के दौरान कर संग्रह में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में परिवर्तन



स्रोत: सीजीए


जीटीआर=सकल कर निगम; सीआईटी=वैयक्तिक सीमा; पीआईटी=उत्पाद सेवा; सीडी=राजस्व कर; ईडी=आयकर शुल्क; एसटी=शुल्क कर

की धारणीयता जीएसटी, जिसमें अन्य उपकरों और करों (ब्योरे बॉक्स 1 में) के अलावा उत्पाद-शुल्क और सेवा कर दोनों शामिल होंगे, से राजस्व वृद्धि पर निर्भर करेगी। इसके विपरीत, निगमित कर संग्रह 0.3 प्रतिशतांक कम हो गया है जो शायद सामान्य रूप से कंपनियों में चालू तुलनपत्र पर दबाव के कारण हो सकता है।

### ख. व्यय में प्रवृत्तियां

2.11 केंद्र सरकार का सकल बजटीय व्यय मोटे तौर पर केंद्र सरकार के व्यय और अंतरणों में विभाजित किया जा सकता है। 2016-17 (सं.अ.) में, केंद्र सरकार का व्यय कुल बजटीय व्यय का 80.3 प्रतिशत बैठता था और शेष 19.7 प्रतिशत अंतरण राशि था (चित्र 4)।

### चित्र 4. 2016-17 के सं.अ में बजटीय व्यय में कुल हिस्सा (प्रतिशत में)



स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18

सं.अ.=संशोधित अनुमान

सीएस योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं (एफसी)

अंतरण=वित्त आयोग अंतरण;

सीएसएस=केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

2.12 राजस्व व्यय के मामले में 7वें वेतन आयोग की देयताओं से बोझिल और एफआरबीएम की वचनबद्धता से निरुद्ध, बजट 2016-17 ने सामान्य पूंजीगत व्ययन को लक्षित किया (सारणी 1)। तथापि, अतिरिक्त कर संसाधनों ने पूंजीगत व्यय बनाए रखने और तनख्वाह और पेंशन पर सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू करने के लिए उधार लेने के कार्यक्रम का विस्तार किए बिना, गुंजाइश उत्पन्न कर दी।


2.13 वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक पिछले वर्ष वेतन

और पेंशन संबंधी व्यय में वृद्धि, जो वेतन आयोग के कारण वर्ष के दौरान कार्मिकों और पेंशनरों की आय में वृद्धि को मुख्य रूप से प्रतिबिंबित करता है। वेतन और पेंशन संबंधी खर्च को हटाने पर, राजस्व व्यय में वृद्धि 2016-17 में काफी कम थी (सारणी 4 एवं 5 और चित्र 5)।

2.14 मुख्य सब्सिडियां, जिनमें खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडियां भी शामिल हैं, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2012-13 से लगातार घट रही हैं (चित्र 5)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में खाद्य सब्सिडियां उच्च बनी रहने के बावजूद यह प्रतिशत घटा है।

2.15 वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में वृद्धि का दूसरा कारण पूँजी परिसंपदाओं के सृजन हेतु अनुदान (जीसीसीए) में 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिए गए सभी अनुदान राजस्व व्यय के रूप में माने जाते हैं, परंतु इन अनुदानों के एक भाग का प्रयोग पूँजी के सृजन के लिए किया

### चित्र 5. राजस्व व्यय की मुख्य मदें जीडीपी के % के रूप में



स्रोत: सीजीए; पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े;  
ब.अ.=बजट अनुमान; आईपी=ब्याज संदाय;  
एसयूबी=मुख्य इमदाद; एसएएल=वेतन और भत्ते; पेन=पेंशन

जाता है। ऐसा निवेश संवर्धन, जो केंद्रीय सरकार के व्यय के चलते अर्थव्यवस्था को मिलता है, का अनुमानित आकलन राजस्व व्यय में से जीसीसीए को घटाकर और इसे पूँजी व्यय में जोड़कर किया जा सकता है। यह

### सारणी 4. राजस्व व्यय की मुख्य मदें (₹ लाख करोड़ में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
ब्याज संदाय	4.0	4.4	4.8	5.2
मुख्य इमदाद	2.5	2.4	2.1	2.4
पेंशन	0.9	1.0	1.3	1.3
वेतन	1.3	1.4	1.8	1.8

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अन्वा=अनंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान

### सारणी 5. राजस्व व्यय के मुख्य घटकों में वृद्धि (प्रतिशत में)


	2015-16	2016-17 ब.अ.	2016-17 अ.वा.
राजस्व व्यय	4.8	12.6	9.5
ब्याज संदाय	9.7	11.5	8.8
मुख्य इमदाद	-2.9	-4.2	-14.6
पेंशन	3.4	27.5	33.4
वेतन और भत्ते	7.9	27.2	23.1
एनएसपी-सं. अ	4.6	9.8	6.3

स्रोत: भारत सरकार का बजट और सीजीए

एनएसपी-सं. अ=वेतन-भिन्न/पेंशन-भिन्न राजस्व व्यय

समायोजन वर्ष में पूँजीगत व्ययों को काफी बढ़ा देता है (चित्र 6)।

**चित्र 6. वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय (आरएई<sup>०</sup>) और पूँजी व्यय (सीई) में वृद्धि (प्रतिशत में)**




स्रोत: सीजीए

समा.= समायोजित

2.16 वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, केंद्रीय सरकार का कुल बजटीय व्यय जीडीपी का 0.9 प्रतिशतांक--राजस्व व्यय 1.1 प्रतिशतांक कम हुआ है, जबकि पूँजीगत व्यय 0.1 प्रतिशतांक बढ़ा है। हालिया व्यय रुझान पूँजीगत व्यय की ओर क्रमिक झुकाव के साथ, बेहतर व्यय गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है (सारणी 1 और सारणी 2)। चित्र 7 दर्शाता है कि आधे से अधिक राजवित्तीय गुंजाइश का सृजन पेट्रोलियम

**चित्र 7. राजस्व व्यय के चुनिंदा घटकों में 2013-14 से 2016-17 के दौरान जीडीपी के % के रूप में परिवर्तन**



स्रोत: केंद्रीय बजट


IP=व्याज संदाय; Food=खाद्य सम्बिंदी; Fert=उर्वरक सम्बिंदी; Petro=पेट्रोलियम सम्बिंदी; P&A=वेतन व भत्ते, PEN=पेशन

सम्बिंदी में हुई कटौती के चलते राजस्व व्यय कम होने से हुआ है। यह कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में आई कमी, मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने और सम्बिंदियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए हेरा-फेरी समाप्त करने के संयुक्त परिणाम को दर्शाता है।

#### ग. अंतरण

2.17 केंद्र से राज्यों को अंतरण में कर अंतरण और अनुदान शामिल होता है। 2013-14 तक, केंद्र प्रायोजित स्कीमों की निधियां दो तरीके-राज्यों की समेकित निधियों और राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से-से दी जाती थीं। 2014-15 में, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष अंतरण समाप्त कर दिया गया और सीएसएस के लिए अंतरणों सहित राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की समेकित निधियों के जरिए किए जाने शुरू कर दिए गए (सारणी 6)। इसलिए, 2014-15 में राज्यों के कुल अंतरण में वृद्धि (चित्र 8) काफी हद तक अंतरण के पैटर्न में किए गए बदलाव का परिणाम थी।

**चित्र 8. राज्यों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अंतरण**



स्रोत: व्यव विभाग वित्त मंत्रालय

आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

2.18 चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को विभाजनीय कर पुल का 32 प्रतिशत देने की बजाय 42 प्रतिशत देने की संस्तुति की थी। इस संस्तुति के कार्यान्वयन के अनुसरण में, 2015-16 में राज्यों को किए जाने वाले कर अंतरण में जीडीपी के 1 प्रतिशतांक तक की वृद्धि हुई। राज्यों को किए जाने वाले कुल अंतरण में भी वृद्धि हुई, परंतु

### सारणी 6. केंद्र से राज्यों को अंतरण (₹ लाख करोड़)

	2014-15	2015-16	2016-17 (स.अ.)	2017-18(ब.अ.)
कर अंतरण	3.38	5.06	6.08	6.75
सहायता अनुदान	3.30	3.06	3.59	3.88
कुल	6.68	8.12	9.67	10.63

स्रोत: व्यवस्था विभाग वित्त मंत्रालय

स.अ.: संशोधित अनुमान; ब.अ.: बजट अनुमान

इसका अनुपात कम रहा। यह जीडीपी के 0.5 प्रतिशतांक तक रही। इसका कारण यह था कि अनिबद्ध कर अंतरण में वृद्धि निबद्ध अंतरणों में की गई कुछ कटौती से भी जुड़ी हुई थी। (चित्र 8)। जीडीपी के सापेक्ष केंद्र के सकल कर राजस्व में तदनुरूपी बदलाव (सारणी 1) को प्रतिबिंबित करते हुए, 2016-17 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर अंतरण में वृद्धि हुई। (चित्र 8)

#### घ. केंद्रीय सरकार का ऋण

2.19 अल्प, परंतु निरंतर, राजकोषीय समेकन के चलते, 2015-16 में हुई आंशिक वृद्धि को छोड़कर, जीडीपी के अनुपात में केंद्रीय सरकार की देयताएं घट रही हैं (सारणी 7)। पिछले 14 वर्षों में, ऐसे केवल दो वर्ष-2011-12 और 2015-16 हैं जब केंद्रीय सरकार की देयताओं में सांकेतिक जीडीपी की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष में, यह वृद्धि असामान्य राजकोषीय विस्तार

के कारण हुई थी—पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 1.1 प्रतिशतांक बढ़ गया था। 2015-16 में, सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को कम किया। फिर भी, देयताओं में वृद्धि 10.6 प्रतिशत थी, जो सांकेतिक जीडीपी की 9.9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। इसका कारण यह था कि मुद्रास्फीति में आई तीव्र गिरावट के चलते, पिछले वर्ष की तुलना में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि लगभग एक प्रतिशतांक तक नीचे आ गई थी (चित्र 9)। वर्ष 2016-17 में यह रुझान विशिष्ट रूप से उलटा हो गया।

2.20 ऋण के संदर्भ में अन्य विशिष्ट रुझान नियत ब्याज दर वाली बाजार उधारों पर निर्भरता में वृद्धि और भारत सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में विदेशी उधारों की कम होती अहमियत थे। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण में धीमी, परंतु निरंतर गिरावट, भारत के ऋण स्टॉक के अपेक्षाकृत कम मुद्रा जोखिम और


### सारणी 7. केंद्र सरकार की बकाया देयताएं जीडीपी के % के रूप में

(जीडीपी के % के रूप में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 स.अ.	2017-18 ब.अ.
आंतरिक देयता	49.8	49.2	48.8	48.6	48.9	47.9	45.8
आंतरिक ऋण	37.0	37.9	37.8	38.1	38.8	38.0	36.7
बाजार उधार	28.8	30.0	30.6	31.3	31.4	30.8	29.7
अन्य	8.2	7.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.0
अन्य आंतरिक देयताएं	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.8	9.2
बाह्य ऋण (बकाया)*	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
कुल बकाया देयताएं	51.7	51.0	50.5	50.2	50.4	49.4	47.3

स्रोत: केंद्रीय बजट;

\*बाह्य ऋण ऐतिहासिक विनियम दरों में व्यक्त है।

**चित्र 9. जीडीपी वृद्धि और केंद्रीय देयताओं के बकाया में वृद्धि**




स्रोत: केंद्रीय बजट

अदायगी शेष स्थिति पर सरकार के उधार कार्यक्रम के कम प्रभाव को भी इंगित करती है (सारणी 7)। केंद्रीय सरकार अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से सीधे उधार नहीं लेती है; इसका दो-तिहाई से अधिक विदेशी ऋण स्टॉक बहुपक्षीय संस्थाओं से है, जो काफी हद तक रियायती शर्तों पर आधारित होता है।

2.21 सरकार के ऋण के परिपक्वता प्रोफाइल के क्रमिक दीर्घीकरण ने आवर्ती जोखिम को कम कर दिया है (चित्र 10)। भारत सरकार की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित अवशिष्ट औसत परिपक्वता मार्चान्त 2010 की स्थिति के अनुसार 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्चान्त 2016 की स्थिति के अनुसार 10.5 वर्ष हो गई।

**चित्र 10. वर्ष 2011-12 और 2015-16 में केंद्र सरकार की दिनांकित बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता-रूप रेखा (कुल के % के रूप में)**




स्रोत: ऋण स्थिति पत्र, वित्त मंत्रालय

## राज्य वित्त

2.22 वर्ष 2015-16 में राज्य बजटों में काफी विस्तार हुआ। यह विस्तार चालू और पूँजीगत खर्च, दोनों में वृद्धि के चलते हुआ (चित्र 11क और ख और सारणी 8)। पूँजी व्यय में राज्य सरकारों के पूँजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। 2015-16 में ऋणों और अग्रिमों में तेजी से वृद्धि हुई। 2015-16 में राज्यों का पूँजीगत व्यय (मिलाकर) 56.1 प्रतिशत तक बढ़ गया, परंतु उदय को अलग कर देने पर, यह वृद्धि केवल 23 प्रतिशत थी।

**चित्र 11क एवं ख. राज्यों के वित्तीय संकेतक (सम्मिलित) (₹ लाख करोड़ में)**



स्रोत: राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन, भा.रि.बैंक

संअ.=संशोधित अनुमान; ब०अ.=बजट अनुमान

### सारणी 8. राज्यों के वित्तीय संकेतक (सम्मिलित) जीडीपी के % के रूप में

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 स.अ.	2016-17 ब.अ.
स्व कर राजस्व	6.6	6.3	6.3	6.6	6.7
स्व कर-भिन्न राजस्व	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
पूँजी व्यय*	2.2	2.2	2.4	3.5	3.2
राजस्व व्यय	12.4	12.3	13.2	14.7	14.8
कुल व्यय	14.6	14.5	15.6	18.1	18.1

स्रोत: राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन, भा.रि.बैंक


सं.अ.=संशोधित अनुमान, ब.अ.=बजट अनुमान

\*पूँजी व्यय में पूँजी संवितरण में समाविष्ट केंद्र के ऋणों/उधारों की अदायगी शामिल नहीं होती है।

2.23 राज्य सरकारों द्वारा जुटाई गई उदय-संबंधी उधारों को 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से छूट दे दी गई। जहां राज्यों के निजी स्तर पर यह किया जा सकता है वहीं उदय की देयताओं सहित सभी राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे को समझना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये देयताएं राज्यों के ऋणों में जोड़ी जाती हैं।

2.24 राज्य के वित्तीय साधनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन वर्ष 2015-16 के दौरान आठ

**चित्र 12. राज्यों का वित्तीय घाटा जीडीपी के % के रूप में**



स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन:

सं.अ.=संशोधित अनुमान, ब.अ.=बजट अनुमान

टिप्पणी: 2016-17 स.अ. और 2017-18 ब.अ. की संख्याएं 25 राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।


राज्यों द्वारा पूँजीगत परिव्यय और विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों और अग्रिमों-उदय के तहत यह जीडीपी ऋणों और अग्रिमों के रूप में लगभग ₹98960 करोड़ की राशि उधार ली। यह जीडीपी अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे की स्थिति बदतर होने का संकेत देती है। निवल उदय ब्रांड समेकित राज्य राजकोषीय घाटा 0.7 प्रतिशतांक कम होकर 2.9 प्रतिशत रह गया (चित्र 12)। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उदय के चलते राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 3.0 प्रतिशत के एफआरबीएम को पार कर गया। 25 राज्यों

**चित्र 13. राज्यों का राजस्व घाटा जीडीपी के % के रूप में**

से संबंधित सूचना के आधार पर, वर्ष 2016-17 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा (सं.अ.), उदय की देयताओं को शामिल करने के पश्चात् 3.4 प्रतिशत होगा जबकि उदय की देयताओं के बिना यह 2.7 प्रतिशत होगा (चित्र 12)। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 में, आठ राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा) ने उदय के अंतर्गत उधार लिया, जबकि 2016-17 में, तेरह राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय) ने उदय के तहत उधार लिया।

2.25 चित्र 14 और 15 राज्य के राजकोषीय घाटे-2007-08 के दो आशुचित्र प्रस्तुत करते हैं: जब जीडीपी अनुपात की तुलना में संयुक्त राजकोषीय घाटा एफआरबीएम के प्रारम्भ से अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच

**चित्र 14. वित्तीय घाटे/जीडीपी अनुपात के अनुसार राज्यों का वितरण: 2007-08**



स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन


गया था, और वर्ष 2015-16 जब यह अनुपात सर्वोच्च था। पांच राज्यों में 2007-08 में राजकोषीय अधिशेष हुआ और 2015-16 में कोई राजकोषीय अधिशेष नहीं हुआ।

2.26 जीडीपी के सापेक्ष राज्यों की संयुक्त ऋण स्थिति में किसी बदहाली के बिना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे में वृद्धि दिखाई देती है (चित्र 12 और 16)। तथापि, वर्ष 2015-16 में, राज्यों के देयता जीडीपी अनुपात में घाटों में अत्यधिक वृद्धि और अंकित जीडीपी वृद्धि में कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई (सारणी 9)।

### सामान्य सरकार

2.27 वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जीडीपी के सापेक्ष बकाया देयताओं में तेजी से गिरावट आई (सारणी 10)। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की घाटे और बकाया देयताओं की स्थिति

**चित्र 15. वित्त घाटे/जीडीपी अनुपात के अनुसार राज्यों का वितरण 2015-16 (सं.अ॰)**



**सारणी 9. राज्यों की बकाया देयताएं**


	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 RE#	2016-17 BE#
राज्यों की देयताएं (₹ लाख करोड़ में)	22.1	24.7	27.0	31.7	36.0
राज्यों की देयता (% वृद्धि)	10.6	12.0	9.4	17.4	13.5

स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन

सं.अ॰=संशोधित अनुमान, ब०अ॰=बजट अनुमान

# उदय वाले

**चित्र 16. राज्यों की बकाया देयताएं (जीडीपी के % के रूप में)**




स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन:  
सं.अ.=संशोधित अनुमान बी.अ.=बजट अनुमान

# उदय वाले राज्य

बिंगड़ने के साथ, सामान्य सरकार द्वारा कुल उधारों तथा केन्द्र और राज्यों की संयुक्त रूप से ऋण की स्थिति भी बिंगड़ती गई (चित्र 17 और सारणी 10)। 2017-18 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के उधारों के बजटीय स्तर से ये संकेत मिल रहे थे कि उनका समेकन हो रहा है (चित्र 17)। केन्द्र के राजकोषीय घाटों के संबंध में हालिया रुझानों और इसके द्वारा मध्यावधि

**चित्र 17. केंद्र, राज्यों (उदय वाले) और सीपीएसई की उथारियां (जीडीपी का %)**



स्रोत: केन्द्रीय बजट और राज्य बजट

सं.अ.=संशोधित अनुपान, ब.अ.=बजट अनुपान, सीपीएसई=केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम।

टिप्पणी: 2016-17 एवं 2017-18 ब.अ. की संख्याएं 16 राज्यों के लिए उपलब्ध सूचनानुसार हैं, जो जीडीपी का लगभग 79 प्रतिशत बैठता है।

राजकोषीय नीति विवरण 2017-18 में (चित्र 19) दिए गए एक सुस्पष्ट समेकन रूपरेखा (आंकड़े संभावना में प्रस्तुत किए जाने हैं) को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लग रहा है कि सामान्य सरकार और भी मजबूत हो रही है।

2.28 केन्द्र, राज्यों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुमानित सरकारी निवेश में वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों के बल पर सुधार हुआ (चित्र 18)। राष्ट्रीय लेखे से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में अचल निवेश दर 2015-16 में 29.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 27.1 प्रतिशत रह गई। सर्वेक्षण के आकलन यह दर्शाते हैं कि यदि सरकारी निवेश की स्थिति में सुधार न होता तो नियत निवेश दर में और तेजी से गिरावट आई होती (चित्र 48, अध्याय 1)। 2015-16 से 2016-17 की अवधि और 2016-17 से 2017-18 की अवधि के बीच सामान्य सरकार (सीपीएसई सहित) के निवेश खर्च में विभिन्नकारी रुझानों का अवलोकन चित्र 18 से किया जा सकता है।

**सारणी 10. केंद्र, वर्ष राज्यों की जीडीपी % के रूप में देयताएं**

वर्ष	केंद्र की देयताएं और	राज्यों की देयताएं	केंद्र और राज्य दोनों की देयताएं
2009-10	56.3	25.5	70.6
2010-11	52.2	23.5	65.6
2011-12	53.5	22.8	67.4
2012-13	52.5	22.2	66.6
2013-14	52.2	22.0	67.1
2014-15	51.5	21.7	66.9
2015-16 सं.अ.	52.3	23.4	69.3
2016-17 ब.अ.	50.7	23.9	68.6


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन पर आधारित सर्वेक्षण गणनाएं

सं.अ.=संशोधित अनुपान ब.अ.=बजट अनुपान

सीपीएसई=केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम।

टिप्पणी: सारणी 10 में प्रस्तुत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र की बकाया देयता के आंकड़े सारणी 7 में दिए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि बाह्य ऋण सारणी 7 में प्रदर्शित ऐतिहासिक विनियम दरों में निर्धारित है, जबकि यह इस सारणी में चालू विनियम दर में निर्धारित है।

### चित्र 18. केंद्र, राज्यों और सीपीएसई द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय (जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: केंद्रीय बजट और राज्य बजट

टिप्पणी: 2016-17 सं.अ. और 2017-18 बं.अ. संबंधाएं 16 राज्यों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार हैं, जो जीडीपी का लगभग 79 प्रतिशत बैठता है।

### एफ.आर.बी.एम. समीक्षा समिति

2.29 एफ.आर.बी.एम. काल के अनुभव का जायजा लेते हुए, बजट 2016-17 इस बात का साक्षी रहा कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व की रूपरेखा के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार हैं-सीमा आधारित लक्ष्य बनाम नियतकालिक लक्ष्य, ऋण और आर्थिक चक्रों के प्रति उत्तरदायी राजकाषीय विस्तार और संकुचन आदि। ये मुद्दे एफ.आर.बी.एम. की एक समीक्षा समिति द्वारा विश्लेषण करने के लिए छोड़ दिए गए थे।

2.30 सरकार ने मई, 2016 में श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय एफआरबीएम समीक्षा समिति गठित की। समिति के सदस्य थे: श्री सुमित बोस, डॉ. उर्जित पटेल, डॉ. राथिन राय और डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यन। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2017 में प्रस्तुत की। सरकार ने इन सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश पर कोई राय नहीं बनाई है।

### वर्ष 2017-18 और इससे आगे के लिए वित्तीय नीति

2.31 केंद्रीय बजट 2017-18 में अनेक प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ किए गए। प्रथम, 1924 से चली आ रही कार्यनीति को बंद करते हुए, रेल बजट को केंद्रीय

बजट में एकीकृत किया गया जिससे रेल वित्त का मामला मुख्य धारा में आ गया। द्वितीय, केंद्रीय बजट प्रस्तुति की तारीख लगभग एक महीने पहले 1 फरवरी कर दी गई जिससे मंत्रालय और राज्य सरकारें वित्त वर्ष के आरंभ से योजना बनाकर अपने पूरे बजट को खर्च कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें वित्तीय वर्ष के काफी अंदर तक (विशेष रूप से मई के अंत तक) बजट को विधायिका द्वारा पारित किए जाने का इंतजार करना पड़ता था। तृतीय, व्यय का 'योजना' और "योजना-भिन्न" में विभाजन समाप्त करके पूँजी-राजस्व सुस्पष्टता को आर्थिक रूप से और सार्थक बनाने पर जोर दिया गया। चतुर्थ, मध्यकालिक व्यय कार्यप्रणाली का विवरण अगले दो वित्त वर्ष में प्रत्येक मांग के लिए अनुमानित व्यय (राजस्व तथा पूँजी) प्रस्तुत करने हेतु पुनःनिर्मित किया गया।

2.32 इन उल्लेखनीय वित्तनीति की पहलकदमियों से आगे बढ़कर, वस्तु और सेवाकर को 01 जुलाई 2017 से, अधिक से अधिक केंद्रीय और राज्यस्तरीय अप्रत्यक्ष कराओं को सम्मिलित करते हुए लागू कर दिया गया व जिससे भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के शीघ्र कायापलट का मार्ग प्रशस्त हो गया है (बॉक्स 1)।

2.33 वर्ष 2017-18 के बजट में क्रमिक समेकन को अपनाया गया। अतः राजकोषीय घाटा 2016-2017 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 2017-2018 में घटकर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सारणी 11)। केंद्रीय सरकार द्वारा अंगीकृत समेकन मार्ग ने प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन बनाया। जहां एक ओर, निरंतर ढंग से कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था की अपेक्षाएं थीं, जो दोहरे तुलन-पत्र से संतप्त थीं और गिरते हुए निवेश और वर्धित ऋण से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, ऐसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रति-चक्रीय नीति के लिए तर्क दिया जा रहा था वहीं दूसरी ओर, विशेष रूप से राज्य सरकार के वित्त साधनों में संभावित व्यवधानों के आलोक में, साख को बनाए रखने की अनिवार्यता ने समेकन का मार्ग अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी थी।

## सारणी 11. 2017-18 के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतक

मद	जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	9.1	9.0	15.2	10.1
सकल कर राजस्व	11.3	11.3	18.0	11.3
प्रत्यक्ष कर	5.4	5.8	11.4	18.7
अप्रत्यक्ष कर	5.7	5.5	21.4	7.6
निवल कर राजस्व	7.3	7.3	16.8	11.3
कर-भिन्न राजस्व	1.8	1.7	9.1	5.3
ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियां	0.4	0.5	0.9	33.0
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.5	9.5	14.5	11.1
कुल व्यय	13.0	12.7	10.3	8.7
राजस्व व्यय	11.1	10.9	9.5	9.0
पूँजीगत व्यय	1.9	1.8	14.7	6.7
मैमो मदें				
राजकोषीय घाटा	3.5	3.2		
राजस्व घाटा	2.0	1.9		
प्राथमिक घाटा	0.4	0.1		

स्रोत: केंद्रीय बजट

अ.वा॰ = अनन्तिम वास्तविक; ब.अ॰ = बजट अनुमान

## बाँक्स 1. ऐतिहासिक कर सुधार: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी का प्रवर्तन भारतीय कर तथा आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि का द्योतक है, सार सारणी 2 में दिया गया है। यहां हम भावी मार्ग की ओर संकेत करते हुए कुछ गलतफहमियों को स्पष्ट करते हुए सापेक्षतया कुछ अलक्षित लाभों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

## सारणी 1. जीएसटी में शामिल कर

केंद्रीय कर	राज्य कर
• केंद्रीय उत्पाद शुल्क	• राज्य वैट
• उत्पाद शुल्क (चिकित्सा और शौचालय संबंधी सामग्रियां)	• केन्द्रीय बिक्री कर
• अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं, और कपड़ा तथा कपड़ा उत्पाद)	• क्रय कर
• अतिरिक्त सीमा शुल्क	• विलासिता कर
• विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	• प्रवेश कर (सभी प्रकार के)
• सेवा कर	• मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों से अतिरिक्त)
• माल या सेवा की आपूर्ति विषयक उपकर और अधिभार	• विज्ञापन कर
	• लाटरी, सट्टा और जुआ कर
	• राज्य उपकर और अधिभार

राज्य स्तरीय करों को सम्मिलित करते हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अगले पांच वर्ष के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक राजस्व वृद्धि की गारंटी दी है। यह ऐसी क्षतिपूर्ति है जिसका वित्त पोषण समाज के लिए अवांछनीय चीजों (तंबाकू, लकड़ी कार, बातित पेय पदार्थ आदि) पर उपकर लगाकर किया जाएगा। यहां हम भावी समय की ओर संकेत और कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर रहे हैं और कुछ अपेक्षाकृत अलक्षित लाभों को उजागर कर रहे हैं।

### सारणी 2. जीएसटी के मुख्य लाभ

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. सहयोग परक संघवाद को बढ़ावा देना</p> <p>2. भ्रष्टाचार और हेराफेरी में कमी लाना</p> <p>3. जटिल कर संरचना को सरल बनाना और देशभर में कर दरों में एकरूपता लाना</p> <p>4. एक समान बाजार बनाना</p> <p>5. आयात के नाम से होने वाले पक्षपात मिटाकर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना ("नकारात्मक संरक्षण")</p> <p>6. विनिर्माण के विरुद्ध कर पक्षपात मिटाना/उपभोक्ता कर बोझ में कमी लाना</p> <p>7. राजस्व, निवेश, और मध्यकालिक अर्थिक संवृद्धि की गति में तेजी लाना</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>घरेलू अप्रत्यक्ष कर संबंधी लगभग सभी निर्णय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएंगे।</li> <li>स्व-नीति निर्धारण: आवक कर क्रेडिट का दावा करने के लिए बीजक के मिलान से अनुपालन रुकेगा और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पहले बीजक मिलान केवल अंतरा-राज्य वैट लेने-देन के लिए ही विद्यमान था यह न तो सेवा कर उत्पाद शुल्क या सेवा कर के लिए ही विद्यमान था न आयात के लिए ही।</li> <li>8-11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरें और सभी राज्यों पर भिन्न रूप से लागू होने वाली 3-5 राज्य वैट दरें जीएसटी की 6 दरों में विलयित की गई; सभी राज्यों पर एक समान रूप से लागू की गई (एक वस्तु पर एक भारतीय कर)।</li> <li>राज्यों और केन्द्र के अन्य कर और उपकर जीएसटी में मिला दिए गए।</li> <li>जीएसटी से राज्यों के बीच व्यापार पर लगे हुए अधिकांश भौतिक प्रतिबंध और कर समाप्त कर दिए जाएंगे।</li> <li>आयातों पर लगाए गए घरेलू कर (आईजीएसटी, पहले प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क की राशि) को अधिक प्रभावी और कम हेरा-फेरी बाला बनाएगा, जिससे घरेलू वस्तुएं और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी।</li> <li>आपूर्ति श्रंखला में कमियों को ठीक करके और उत्पाद कर जमाओं के प्रवाह में सुगमता लाकर जीएसटी, कास्केडिंग व्यवस्था (मूल्य संवर्धन प्रत्येक स्तर पर कर और सभी पूर्व स्तरों पर कर यथा केन्द्रीय बिक्री कर सहित) पर्याप्त रूप से समाप्त होगी।</li> <li>निवेश बढ़ेगा, क्योंकि पूँजी पदार्थों की खरीदारी पर आदान कर क्रेडिट का दायरा बढ़ेगा।</li> <li>बेहतर अनुपालन से कर आधार का विस्तार होगा।</li> <li>निर्यात में सन्निहित कर समाप्त हो जाएंगे।</li> </ul> |
|---|--|

#### 1. क्या कर ढांचे की जटिलता बढ़ गयी?

अधिकांश टीकाओं में यह सुझाव दिया गया है कि जीएसटी से कर ढांचा (इस नयी व्यवस्था के आदर्श जीएसटी कर ढांचे से अप्रत्यक्ष रूप से तुलना करने के आधार पर) जटिल हो गया है जबकि इसका आशय यह है कि तुलना पिछली व्यवस्था से की गयी है। यह सुझाव देना सटीक नहीं है कि जीएसटी, दो संबंधित कारणों से, अपनी पिछली प्रतिस्थापित व्यवस्था से अधिक जटिल है।

पहले, प्रत्येक माल को केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद कर और राज्य के वैट को वहन करना होता था। तब कम से कम 8-10 उत्पाद शुल्क दर और राज्य के वैट की 3-4 दरें होती थीं, वैट-दरें सभी राज्यों में संभवतः भिन्न-भिन्न होती थीं। इस प्रकार अनेक प्रकार की दरों (अधिकतम 10 गुणा 4 गुणा 29 राज्य) का ढांचा सिमट कर 6 दरों के कर ढांचे तक रह गया है।

सबसे जरूरी बात यह है कि एकरूपता या “एक वस्तु, एक कर” का सिद्धांत पूरे भारत में अब हकीकत बन गया है। पहले, भिन्न-भिन्न राज्यों में किसी खास उत्पाद पर अलग-अलग कर लग सकते थे और ये कर केंद्र द्वारा लगाए गए कर से अलग हो सकते थे।

अतः पिछली व्यवस्था की तुलना में, अब जटिलता काफी कम है।

## 2. क्या अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा?

वस्तु:

यह सही है कि जो लोग अब जीएसटी व्यवस्था में शामिल हैं उन सभी को अतिरिक्त दस्तावेजी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी। परंतु इन अपेक्षाओं में (विवरणी दाखिल करना) फार्मों का एक सेट (न कि तीन क्योंकि पहले समूह के फार्म को भरने से दो अन्य की रचना अपने-आप हो जाती है) महीने में एक बार दाखिल किया जाना सम्मिलित है। अतः यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा क्योंकि पहले इसी प्रकार की, कभी-कभार अधिक दुर्घट, अपेक्षाएं राज्य के वैट और केंद्रीय उत्पाद की पिछली व्यवस्था में विद्यमान थीं (सारणी 3)। मसलन, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है, जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था में, तीन भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों को तीन पृथक विवरणियां उन तीन करों के मामले में दाखिल करनी होती थीं जो अब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

सेवाएं:

पहले, चूंकि सेवा कर केवल केंद्र लगाता था, और एजेंटों को केवल एक प्राधिकारी के पास पंजीकृत करना होता था तथा इसलिए केवल एक के पास ही कर दाखिल करना पड़ता था। अब एजेंटों को उन सभी राज्यों में पंजीकरण करना होगा जिनमें वे कार्य करते हैं और प्रत्येक राज्य में इसे दाखिल करना होगा। जीएसटी परिषद् में हुई चर्चा के दौरान यह प्रयत्न किए गए कि पहले वाली सरल व्यवस्था को बनाए रखा जाए, परंतु राज्य राजस्व में अपने उचित हिस्से की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के रूप में एकाधिक पंजीयन पर अड़े रहने पर लगभग एकमत थे। इसके अलावा, बढ़ी हुई अपेक्षाएं वे ही वहन करेंगे जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति हो और जिनकी अनुसरण-क्षमता भी इसी के अनुरूप वृहत्तर होगी। भविष्य में, अनुपालन बोझ को कम करने के लिए और अधिक केंद्रीकृत प्रक्रियाओं के लिए गुंजाइश है।

**सारणी 3. दाखिल की जाने वाली विवरणियों की संख्या और बारंबारता: जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद**

जीएसटी से पहले	जीएसटी ढांचा
राज्य वैट	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक
सेवा कर	2 प्रति वर्ष + 1 वार्षिक
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक

छोटे व्यापारी

छोटे व्यापारियों और एजेन्टों पर अतिरिक्त अनुपालन का बोझ पड़ने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इससे दूसरी दिशा में कुछ ज़रूरी परिवर्तनों की अनदेखी हो जाती है। जीएसटी ने कर व्यवस्था में समावेश के लिए कारोबार की आरंभिक सीमा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी है जैसाकि सारणी 4 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पहले कर व्यवस्था में (राज्यों के वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) में आने वाले लगभग 87 लाख एजेन्टों में से अब लगभग 70 लाख एजेन्ट ही जीएसटी व्यवस्था में रह गए हैं। ₹ 20 लाख से कम कारोबार करने वाले काफी संख्या में छोटे व्यापारीगण जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा, यद्यपि नयी प्रारंभिक सीमा ₹ 20 लाख है, तथापि ₹ 75 लाख तक का कारोबार करने वाले एजेन्ट अपने उस लेन-देन पर (जो मूल्यवर्धित नहीं हो) मात्र थोड़ा कर चुकाने का विकल्प अपना सकते हैं जिसे वे प्रत्येक महीने के बजाय प्रत्येक तिमाही में जमा किए जाने वाले कम दस्तावेजों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

प्रति मुनाफाखोरी उपबंधों से संबंधित चिंताएं अति उत्साही प्रशासन में परिणामी हो सकती हैं, सरकार ने इंगित किया है कि इनका प्रयोग किफायती तरीके से किया जाएगा। यदि ऐसे उपबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सनसेट खंड की शुरूआत की गई थी कि इसका अवसान दो वर्ष के पश्चात नहीं होगा।

**सारणी 4. कर व्यवस्था में समावेश हेतु बिक्री की आरंभिक सीमा: जीएसटी से पूर्व और इसके बाद में:**

जीएसटी से पूर्व	जीएसटी की संरचना
राज्य वैट	₹ 5-10 लाख
सेवा कर	₹ 10 लाख
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	₹ 1.5 करोड़

**3. अलक्षित लाभ**

जीएसटी का एक अलक्षित लाभ यह भी है कि अब कपड़ा और पोशाक क्षेत्र व्यवस्था का पूर्ण रूप से हिस्सा है। पहले, मूल्य श्रृंखला के कुछ हिस्से, खासकर फेब्रिक्स, व्यवस्था से बाहर थे, जिसकी परिणति अनौपचारिकता और अपवंचन में होती थी। घरेलू उत्पादन की

अपेक्षा फैब्रिक्स के आयात को तरजीह देने वाली कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। परंतु समग्र कर आधार में विस्तार हुआ है।

इसी प्रकार, भूमि और भवन संपदा के लेनदेन का एक भाग कर व्यवस्था में लाया गया है: “निर्माण कार्य संविदाओं” का उल्लेख निर्मित किए जा रहे आवास के संदर्भ में हैं। इसके परिणामतः बाद में कर व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले सीमेन्ट, इस्पात और अन्य चीजों की खरीदों में और अधिक पारदर्शिता तथा औपचारिकता आएगी क्योंकि भवन निर्माताओं को जमाकर का दावा करने के लिए इन उत्पादों के लिए प्रलेखन की आवश्यकता होगी।

तुतीय, आयातों पर लगाए गए घरेलू करों की पिछली व्यवस्था-उत्पाद शुल्क कर को समायोजित करने के लिए प्रतिकारी शुल्क और राज्य वैट को समायोजित करने के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) की अपर्याप्तता में सुधार होगा। मसलन, एसएडी 4 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता था, यद्यपि अधिकांश राज्यों में मानक वैट 12.5 प्रतिशत था, जबकि उत्पादों पर वैट अदा करने वाली आदर्श फर्म कर का पुनः दावा कर सकती थीं, किन्तु उन्हें कर जमा करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हो रही थीं। जीएसटी में, केन्द्र और राज्यों द्वारा घरेलू बिक्री पर लगाए गए संपूर्ण कर (आईजीएसटी) तभी लगाए जाएंगे जब आयातित माल पहले देश में पहुंच जाएगा। इससे संपूर्ण कर जमा शृंखला में पहले की अपेक्षा काफी कमी आएगी। इसकी परिणति आयात के संबंध में अधिक पारदर्शिता और अधिक प्रभावकारी कराधान के रूप में होगी।

शुरूआती लक्षण कर आधार का विस्तार होने के हैं। जून और जुलाई 2017 के बीच, 6.6 लाख नए एजेन्टों, जो पहले कर व्यवस्था से बाहर थे, ने जीएसटी में पंजीकृत किए जाने के लिए अनुरोध किया है। जैसे-जैसे औपचारिक कार्य के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा, वैसे-वैसे, हमारा यह अनुमान है कि इसमें लगातार वृद्धि ही होगी। प्रारंभिक अनुमान यह है कि इसके परिणामस्वरूप कर आधार में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

दूसरा लाभ जीएसटी के प्रभाव और प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में इसके द्वारा दी गई जानकारी का होगा। यह बहुत विशाल हो सकता है। विगत में, केंद्र के पास छोटे विनिर्माताओं और खपत से संबंधित मामूली आंकड़े होते थे (क्योंकि उत्पाद शुल्क विनिर्माण अवस्था पर लगाया जाता था); जबकि राज्यों के पास अपनी सीमाओं से बाहर की स्थानीय कंपनियों के कार्यकलाप विषयक आंकड़े भी मामूली ही होते थे। जीएसटी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों के ही आंकड़ों के सामान्य समूह का अपरिमित प्रवाह और उपलब्धता होगी जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रहण अधिक प्रभावी होगा।

दीर्घावधिक लाभों में, वित्तीय समावेशन पर जीएसटी का प्रभाव शामिल है। छोटे कारोबारी डिजिटल रूप से कर संदाय का एक वास्तविक समय ट्रैक रिकार्ड बना सकते हैं और इसका उधारदाता संस्थाओं द्वारा ऋण दर निर्धारण और उधार देने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल, छोटे व्यवसायी ऋण से परेशान हैं, क्योंकि, वे अपनी वित्तीय सामर्थ्य को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।

अंततः, जीएसटी प्रारंभ होने पर पहले कुछ दिनों के भीतर भी अंतर-राज्य जांच-चौकियों को समाप्त करने की रिपोर्ट मिली हैं। अभी तक 24 राज्य जांच-चौकियां समाप्त कर चुके हैं जबकि अन्य राज्य उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो आवागमन लागतों, ईंधन के उपयोग और भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

यह सुझाव देने का पर्याप्त साक्ष्य है कि भारत के भीतर संभार-तंत्र संबंधी लागतें अधिक हैं। मसलन एक अध्ययन यह सुझाव देता है कि भारत में ट्रक एक दिन में अमरीका में ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी (280 किमी. बनाम 800 किमी.) की एक तिहाई दूरी ही तय कर पाते हैं। इससे प्रत्यक्ष लागतें (चालकों को मजदूरी, जिसका प्रभाव फर्मों पर पड़ता है) बढ़ती हैं, अप्रत्यक्ष लागतें (अधिक इन्वेंटरी रखने वाली फर्में) बढ़ती हैं, स्थान के विकल्प (मजदूरी भाड़े की दृष्टि से निम्नतम लागत वाले स्थान की बजाय आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहकों के लिए अपेक्षाकृत पास स्थान निर्धारण, आदि) बढ़ते हैं। इसके अलावा, कुल यात्रा समय का लगभग 40 प्रतिशत समय ही वाहन चलाने में लगता है; जबकि कुल यात्रा समय का लगभग एक चौथाई समय जांच चौकियों और अन्य अधिकारिक ठहराव स्थलों पर बर्बाद होता है। जांच चौकी पर विलंब न होने देने से चलने वाले ट्रक प्रतिदिन लगभग 6 घंटे अधिक, प्रतिदिन 164 किमी. अतिरिक्त के समतुल्य, चल सकते हैं। इससे भारत का उपर्युक्त वैश्विक औसत बढ़ सकता है और ब्राजील के स्तर तक पहुंच सकता है।

समग्रतया, संभार-तंत्र लागतें (मोटे तौर पर परिभाषित, और फर्मों के बिक्री में हानि के अनुमान सहित) अंतरराष्ट्रीय मानकों की 3-4 गुना हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अंतः राज्य व्यापार लागतों से अंतर-राज्य व्यापार लागतें 7-16 के कारक द्वारा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार ये वस्तुएं अंतर-राज्य आवागमन के लिए सीमावर्ती अवरोधों की स्पष्ट विद्यमानता की ओर संकेत करती हैं। जीएसटी के पारित होने से इन लागतों में जबरदस्त कमी आएगी और इससे देश में अंतर-राज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> See the Subramanian Committee Report on the Revenue Neutral Rate:<http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/cea-rpt-rnr-new.pdf>

#### 4. भावी चुनौतियां

सारणी 5 उन जीएसटी करों और क्षेत्रों की संरचना दर्शाती है जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। सारणी 5 में दर्शाइ गई दर संरचना और आधार से जावक में सुधार की गुंजाइश है। मदिरा, पेट्रोलियम, और ऊर्जा उत्पाद, विद्युत और भूमि तथा भवन संपदा के कुछ संव्यवहार जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, परंतु इन पर केंद्र और/या अन्य राज्यों द्वारा जीएसटी व्यवस्था से इतर भी कर लगाया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा कर व्यवस्था से पूर्णतः बाहर हैं और इन पर जीएसटी में छूट है तथा इन पर केंद्र और राज्यों द्वारा अन्यथा कर नहीं लगाया जाता।

बिजली को इसके दायरे से बाहर रखने से, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाती है क्योंकि बिजली पर कर विनिर्माता की लागत में जुड़ जाता है और इसके लिए उत्पाद कर जमाओं के रूप में वापसी का दावा नहीं किया जा सकता। भूमि और भवन संपदा को तथा मदिरा को इसके दायरे में रखने से पारदर्शिता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में निरन्तर कमी आएगी; स्वास्थ्य और शिक्षा को इससे पूरी तरह बाहर रखना इक्विटी के साथ असंगत है क्योंकि ये ऐसी सेवाएं हैं जिनका अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है। इसके अलावा, स्वर्ण और आभूषण उत्पादों – ये ऐसी मर्द हैं जिनका बहुत अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है – पर 3 प्रतिशत कर अभी काफी कम है।

अनेक दरों की अनुक्रिया अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थी, जिनमें निर्धन वर्ग को मूल्यवृद्धि से संरक्षित करने के लिए अनिवार्य अनेक वस्तुओं की दरें घटाने की जरूरत शामिल है।

#### सारणी 5. जीएसटी दरों और आधार से अपवर्जन

आईजीएसटी (%)			वस्तुओं की श्रेणियों की संख्या*	जीएसटी से बाहर प्रमुख वस्तुएं
सीजीएसटी (%)	एसजीएसटी(%)	कुल (%)		
0	0	0	88	• मद्य
1.5	1.5	3	Gold	• पेट्रोलियम व ऊर्जा
2.5	2.5	5	173	• बिजली
6	6	12	200	• भूमि एवं भवन संपदा
9	9	18	521	• शिक्षा
14	14	28	229	• स्वास्थ्य देखभाल

उपकर (बहु)

आईजीएसटी केंद्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी) द्वारा जीएसटी करों का योग है।

\*टैरिफ सहित के अधीन परिभाषित सामंजस्यतापूर्ण प्रणाली (एचएस) रेखाओं की संख्या के रूप में मापित।

जीएसटी परिषद – जो सहकारी संघवाद के अभिशासन में एक उल्लेखनीय संस्थागत नवोन्मेष है (और जिसने अपने प्रथम महीनों में अपनी विद्यमानता पहले ही सिद्ध कर दी है) को भारत द्वारा एक अच्छे जीएसटी से महत्वपूर्ण बेहतर जीएसटी की ओर ले जाने के लिए आगामी महीनों में इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी।


2.34 वर्ष 2017-18 के लिए बजट में यह माना गया था कि अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि सीमित रहेगी (सारणी 11)। ऐसी संभावना के लिए दो कारण बताए गए थे। चालू वर्ष में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए हैं। यह और जीएसटी व्यवस्था में संभावित परिवर्तन, चालू वित्त वर्ष के लिए उत्पाद प्रशुल्कों और सेवा कर तथा मोटे तौर पर अप्रत्यक्ष करां में अधिक रुद्धिवादी बजट संख्याओं को स्पष्ट करता है। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करां में बृहत्तर उछाल आने का बजटीय अनुमान है। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों की बाध्यताओं ने राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण कमी करने को कठिन बना दिया है।

2.35 एफआरबीएम संरचना के अधीन जीडीपी का 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2018-19 में हासिल किए जाने का अनुमान है। घाटा समेकन योजना

यह भी दर्शाती है कि केंद्रीय सरकार की बकाया देयताओं में 2017-18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 प्रतिशतांक तक की कमी आएगी (चित्र 19)।

2.36 एफएफसी द्वारा राज्यों के तैयार किए राजकोषीय रोडमैप के अनुसार, ऐसे राज्यों, जिनका राजस्व घाटा शून्य होगा और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर होगा, के पास 3 प्रतिशत की सामान्य सीमा के अतिरिक्त, शर्तों के अध्यधीन (बॉक्स 2), जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त उधार लेने का विकल्प होगा। ऋण माफी को क्रियान्वित करने के लिए, राज्य सरकारों की राजकोषीय गुंजाइश की बॉक्स 2 में जांच की गई है। अलग-अलग परिमाण के विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी का क्रियान्वयन, इन सीमाओं के अंदर प्रचालन यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि सामान्य सरकार की ऋण धारणीयता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

चित्र 19. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय लक्ष्य



स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18

टिप्पणी: 2017-18 के लिए यहां पर दी गई केंद्र की बकाया देयताएं सारणी 4 में चित्र से मेल नहीं खाती हैं क्योंकि पूर्वगत विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवल निवेश है।

### बॉक्स 2. ऋण माफी के आलोक में राज्य-वार राजकोषीय मूल्यांकन

कृषि ऋण माफी को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों की राजकोषीय क्षमता क्या है? इस मूल्यांकन के लिए, माफी की संभावित लागतों का अनुमान लगाना, राज्यों के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान सीमाओं के सापेक्ष उनकी राजकोषीय गुंजाइश की स्थिति का निर्धारण करना, और इन दोनों की तुलना करना अपेक्षित है।

#### कृषि ऋण माफी के लिए राज्य विशिष्ट राजकोषीय गुंजाइश

राज्य	लाख करोड़	हजार करोड़ रुपए में			जीएसडीपी का प्रतिशत		
		2017-18 ( ब. अ.) में उदय रहित एफडी	एफएफसी राजकोषीय सीमा	राज. कोषिय गुंजाइश	2017-18 ( ब.अ. ) में उदय रहित एफडी	एफएफसी पश्च राजकोषीय सीमा	राज. कोषिय गुंजाइश
आंध्र प्रदेश	7.7	23.1	23.1	0.0	3.0	3.0	0.0
उत्तर प्रदेश	14.2	42.6	42.6	0.0	3.0	3.0	0.0
राजस्थान	8.3	24.8	24.8	0.0	3.0	3.0	0.0
केरल	7.5	25.8	22.4	0.0	3.4	3.0	-0.4
हिमाचल प्रदेश	1.4	4.9	4.2	0.0	3.5	3.0	-0.5
ओडिशा	4.1	14.4	14.4	0.0	3.5	3.5	0.0
छत्तीसगढ़	2.8	9.7	9.7	0.0	3.5	3.5	0.0
महाराष्ट्र	25.4	38.8	76.2	37.4	1.5	3.0	1.5
पश्चिम बंगाल	10.8	19.4	32.4	13.1	1.8	3.0	1.2
गुजरात	12.8	23.2	38.3	15.1	1.8	3.0	1.2
झारखण्ड	3.0	6.9	9.1	2.2	2.3	3.0	0.7
हरियाणा	6.2	16.2	18.6	2.4	2.6	3.0	0.4
कर्नाटक	12.8	33.4	44.8	11.5	2.6	3.5	0.9
तमिलनाडु	15.0	42.0	45.1	3.2	2.8	3.0	0.2
उत्तरखण्ड	2.3	6.6	6.8	0.2	2.9	3.0	0.1
पंजाब	5.0	14.6	15.1	0.5	2.9	3.0	0.1
बिहार	6.3	18.1	22.1	4.0	2.9	3.5	0.6
मध्य प्रदेश	7.4	21.1	25.7	4.7	2.9	3.5	0.6
तेलंगाना	7.6	26.1	26.6	0.5	3.5	3.5	0.0
<b>कुल</b>	<b>160.6</b>	<b>411.6</b>	<b>502.2</b>	<b>94.6</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>	<b>0.6</b>

टिप्पणी: राजकोषीय सीमा की संगणना 14वें वित्त आयोग ( एफएफसी ) की संस्तुतियों पर आधारित है। स्लेटी रंग में दर्शाए गए राज्यों के पास अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश है। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का प्रयोग करने के लिए अनुमत किए जाने के लिए आवश्यक शर्त चालू और पिछले वर्षों में शून्य राजस्व घाटा है। यदि राजस्व प्राप्ति के अनुपात में व्याज संदाय 10 प्रतिशत से कम या इसके समकक्ष है तब जीएसडीपी मूल्य की 0.25 प्रतिशत राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध है और यदि ऋण जीडीपी के 25 प्रतिशत से कम है, तब जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरखण्ड के लिए राजस्व घाटा संख्या वर्ष 2016-17 ब.अ. के लिए है।

राज्यों को राजकोषीय गुंजाइश के विस्तार के अनुसार क्रम प्रदान किया गया है। अधिकतर राज्यों की राजकोषीय सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। तथापि, छः राज्यों (ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार) में जीएसडीपी की 3.5 प्रतिशत की सीमाएं उच्च हैं क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति कुल मिलाकर मजबूत है, जैसा कि चॉदहवे वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा समझा गया है।

वर्ष 2017-18 के ब.अ. आकलनों के साथ सीमाओं की तुलना करने पर, हम पाते हैं कि केवल सात राज्यों की राजकोषीय क्षमता जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक है। अधिकतम गुंजाइश (रूपए की दृष्टि से) वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। सापेक्ष दृष्टि से, झारखण्ड के पास भी पर्याप्त गुंजाइश है, जो जीडीपी का 0.7 प्रतिशत बैठती है। बिना किसी अतिरिक्त राजकोषीय क्षमता वाले राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा हैं।

संपूर्ण देश के लिए, अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश राशि लगभग ₹95,000 करोड़ थी या जीडीपी का 0.6 प्रतिशत है। यदि इस गुंजाइश का प्रयोग ऋण माफी के लिए किया गया तो वित्तपोषण के ब्याज की लागत जो लगभग ₹6,350 करोड़ बैठती है से सकल मांग पर प्रभाव पड़ेगा।

### परिशिष्ट 1. वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए मुख्य कर उपाय

#### ( क ) प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत मुख्य उपाय

- ₹5 करोड़ या इससे कम कुल बिक्री वाली कंपनी के लिए कर दरें 29% तक कम कर दी गई।
- दिनांक 1.3.2016 को या उससे बाद निगमित विनिर्माण कंपनियों को बिना कटौती के दावे पर 25% की दर से कर देने का विकल्प प्रदान किया गया।
- वहनीय आवास योजनाओं हेतु 100% कटौती।
- उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जो किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं करते, किराये के संबंध में ₹24,000 से ₹60,000 तक की वृद्धि के मामले में कटौती की अनुमति।
- ₹50 लाख या इससे कम आय वाले व्यवसायिकों के लिए अनुमानित कराधान स्कीम आरंभ करना और व्यापार ₹1 करोड़ से 2 करोड़ तक बढ़ने पर अनुमानित कराधान स्कीम के लिए प्रारम्भिक सीमा।
- स्टार्ट-अप फंड में निवेश और स्टार्ट-अप-कंपनी के शेयर में निवेश करने के लिए आवासीय सम्पत्ति की बिक्री पर दीर्घावधिक पूँजी प्राप्ति की छूट। पांच वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों में 100% लाभ संबंधी कटौती।
- पुराने मुकदमों को कम करने के लिए नई विवाद समाधान स्कीम शुरू हो गई।
- उन व्यक्तियों, जो पूर्व में कर अदा करने में असफल रहे हैं, को अवसर प्रदान करने के लिए आय प्रकटन स्कीम, 2016 शुरू की गई।
- कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के समय एनपीएस में बचत से 40% कर मुक्त आहरण का ग्रावधान किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष कराधान के अंतर्गत लाने के लिए कतिपय अपतटीय डिजिटल संव्यवहारों हेतु 6% समानीकरण उद्धृण की शुरुआत।
- वैयक्तिक कर दाताओं के लिए गृह ऋण पर ₹50,000 तक के ब्याज की अतिरिक्त छूट।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 में शुरू की गई। जिसे उस व्यक्ति के अनुसार घोषित किया गया, है जिसके पास नकद/बैंक जमाओं के रूप में अद्योगित आय है, और वह उसकी घोषणा ऐसी आय के 25% को अनिवार्य रूप से जमा करने के साथ कर, अधिभार तथा ऐसी आय के 49.9% के जुर्माने को अदा करके करता है।

#### ( ख ) उत्पाद और सीमा शुल्क के अंतर्गत मुख्य उपाय

##### i घरेलू उद्योग के लिए 'मेक-इन-इंडिया' प्रोत्साहन

###### सीमा शुल्क

- 58% से कम एफ ई कंटेंट (अन्तर्वस्तु), सहित परिष्कृत लौक अयस्क और ढेलों तथा क्रोमियम अयस्क एवं कन्सन्ट्रेटों पर निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट, और बाक्साईट पर इसे घटाकर 20% से 15% कर दिया गया है।
- कोयला, लिग्नाइट, पांस, तेलों और अन्य उच्च ताप कोल तार आवसन के उत्पादों पर 2.5% पर बीसीडी का यौक्तिकरण किया गया और कोयला कोक और अर्थ-कोक, आफ लिग्नाइट अथवा पांस, कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और अन्य समान गैसों, अन्य पेट्रोलियम गैसों तथा अन्य गैसीय हाईड्रो कार्बन पर 5% बीसीडी का यौक्तिकरण।
- पैरा-जाईलेन तथा स्टाईरेन को छोड़कर, सभी अचक्रीय हाईड्रोकार्बन और चक्रीय हाईड्रोकार्बन पर बीसीडी 2.5% पर यौक्तिकरण किया गया।
- फिथालिक एनीहाईड्राइड के विनिर्माण के लिए ऑर्थोजाई लेने पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सामान्यतः एसएडी के रूप में जाना जाता है) धारा 3(5) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिरिक्त सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- लकड़ी, कागज, पेपर बोर्ड और समाचार मुद्रण के विनिर्माण के लिए चिप्स अथवा पर्टिकलों में लकड़ी पर बीसीडी से छूट दी गई है।
- विशेष फाईबर, तंतु/सूत पर बीसीडी 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया।
- निर्माता या व्यापारी, निर्यातक को परिधान निर्यात उन्नयन परिषद् एवं कृत्रिम तथा रेयान वस्त्र निर्यात उन्नयन परिषद् के अतिरिक्त कपास वस्त्र निर्यात उन्नयन परिषद् के साथ भी पंजीकृत किया जा सकता है तथा कर-रहित आयात अधिकारों को प्राप्त करने हेतु प्रमाणन पर भी विचार किया जा सकता है।
- रद्दी पीतल तथा सिलिका रेती पर बी.सी.डी. को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- प्राथमिक ऐलुमिनियम एवं जस्ता मिश्न धातुओं पर बीसीडी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा अन्य ऐलुमिनियम उत्पादों पर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत। नकली जेवरों पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कैपेसिटर श्रेणी की प्लास्टिक परतों के निर्माण हेतु पलिप्रपलीन कणिकाओं अथवा रालों पर बीसीडी को वास्तविक उपभोग अवस्था के अनुरूप 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

- ई-पाठकों पर बीसीडी को शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा वास्तविक उपभोग अवस्था के अनुरूप ई-पाठकों के कच्चे पदार्थों तथा भागों पर बीसीडी को बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- सचल दूरभाष यंत्रों (मोबाइल फोन) के निर्माण हेतु चार्जरों/एडेप्टरों/बैटरी तथा वायर्ड हैंडसेट एवं स्पीकरों पर दी जाने वाली बीसीडी, सीवीडी तथा एसएडी छूटों को वापिस ले लिया गया।
- मोबाइल के चार्जरों, एडेप्टरों, बैटरीयों तथा वायर हैंडसेटों एवं स्पीकरों के निर्माण हेतु वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अनुरूप उनके इन्पुटों (निवेशों) भागों, उपभागों तथा घटकों पर बीसीडी, सीवीडी तथा एसएडी 10 से छूट प्राप्त है। सभी प्रकार के चुम्बकीय सिरों, मृत्तिका एवं चुम्बकीय कारतूसों तथा एन्टीनाओं, ई.एच.टी. केबिलों, सम मापकों, सम सूचकों, समस्वरक सूचकों, उच्च स्तरीय मापकों, बैटरी मापक, बीसी मापकों टेप गणकों, स्वर शस्त्रों, इलेक्ट्रन बंदूकों पर बीसीडी में दी जाने वाली छूट को वापिस ले लिया जो अब बीसीडी पर 7.5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत आदेय को वापिस ले लिया गया।
- दूरसंचार श्रेणी के तंतुप्रका आप्टिकल फायरबर एवं केबलों के निर्माण हेतु सिलिका के पूर्व स्वरूप पर दी जाने वाली बीसीडी छूट को वापिस लेकर 10 प्रतिशत बीसीडी को लागू कर दिया गया।
- सूक्ष्म संलगकों, अधो-लघु संलगकों, पुनर्गठित संलगकों तथा ऊष्मीय संलगकों के निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं तथा निवेशों को छूट दे दी गई।
- पर्सनल कम्प्यूटरों, मोबाइल फोन, टेबलेट कम्प्यूटर (लैपटॉप या डेस्कटाप) के निर्माण हेतु बहुसांख्यिक पीसीबी पर एसएडी से छूट तथा समान बहुसांख्यिक पीसीबी पर एसएडी लागू करने के प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया है।
- औद्योगिक सौर जल हीटर पर बीसीडी 7.5% से बढ़ाकर 10% और सोलर टैम्पर्ड ग्लास पर 5% बीसीडी लगाई गई थी।
- बिना किसी समय सीमा के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर बीसीडी समाप्त की गई और सीबीडी में 6% छूट दी गई।
- गोल्फ कारों पर बीसीडी 10% से बढ़ाकर 60% की गई थी।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों के अध्यधीन वाशकोट बनाने में उपयोग के लिए एल्यूमीनियम ओक्साइड संबंधी बीसीडी 7.5% से घटाकर 5% की गई।
- निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और सीमा शुल्क की 96 मदों के अंतर्गत आने वाली कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी 7.5% से बढ़ाकर 10% की गई।
- निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और सीमा शुल्क की 115 मदों के अंतर्गत आने वाली कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी की सीमा शुल्क दर 7.5% से बढ़ाकर 10% की गई। इन वस्तुओं पर बीसीडी की प्रभावी दर 7.5% पर बनी रहेगी।
- हवाई जहाजों के रख-रखाव, मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत करने के लिए एम आर ओ द्वारा आयात किए गए (नागर विमानन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत) टूल्स और टूल्स किट को बीसीडी, सीबीडी और एससीडी से मुक्त रखा गया।
- हवाई जहाजों के रख-रखाव, मरम्मत और जांच करके मरम्मत हेतु शुल्क मुक्त हिस्सों को उपयोग में लाए जाने का एक वर्ष का प्रतिबन्ध हटा दिया गया था।
- एमआरओ क्रियाकलाप (60 दिवस) के लिए हवाई जहाजों को रखने की मौजूदा शर्त जिससे कि इन्हें 6 माह तक रोके रखा जा सके (और डीजीसीए, के द्वारा इन्हें और आगे रखने की समयसीमा बढ़ाने के लिए रखा माना गया था) में राहत दी गई।
- प्राकृतिक लेटेक्स रबड़ से बने गुब्बारों पर बीसीडी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई थी।
- रेडियो फार्मास्टिकल्स के विनिर्माण के लिए रेडिएसन और आइसोटोप टेक्नोलॉजी (बीआरआईडी) बोर्ड द्वारा मेडिकल यूज फिसलन मॉल बड़नम-99 के आयात पर बीसीडी पूरी तरह हटा दी गई।
- सेनिटरी पेड्स, नेपकिन, एवं टैम्पनस (वयस्क डाइपर को छोड़कर जिसके लिए पल्प पर बीसीडी पहले ही शून्य है) के निर्माण हेतु उपयोग में लाइ गई लकड़ी के पल्प पर बीसीडी पर 2.5% की छूट प्रदान की गई।
- सेनिटरी पेड्स नेपकिन एवं टैम्पन के निर्माण हेतु उपयोग किए गए सुपर एब्सोरबेन्ट पोलीमर पर बीसीडी में 5% की छूट प्रदान की गई थी।
- मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल और वेटरनरी प्रयोग के लिए आवश्यक 12 निर्दिष्ट मदों की बीसीडी पर 5% की छूट और निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, उपस्कर सहायक सामग्री के लिए 2.5 बीसीडी की रियायत दर प्रतिबन्धित की गई थी।
- मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल अथवा वेटरनरी प्रयोग के लिए आवश्यक 12 निर्दिष्ट मदों के लिए एसएडी हटा दी गई थी।

#### उत्पाद शुल्क

- ब्रांडेड तैयार कपड़ों और 1000 खुदरा बिक्री मूल्य के कपड़े से तैयार एक वस्त्र अथवा अधिक वस्त्रों पर बिना आईटीसी के तैयार करने पर आईटीसी शून्य से 2% कर दी गई।
- तैयार कपड़ों और कपड़े से तैयार वस्त्रों पर शुल्क 30% खुदरा बिक्री मूल्य से बदलकर 60% खुदरा बिक्री मूल्य कर दिया गया।

- असंतृप्त पॉलिस्टर रेजिन (पॉलिस्टर आधारित इन्फ्यूजन रेजिन और हैण्ड ले अप रेजिन) आधारित पॉलिस्टर) आसंजक रेजिन हेतु हार्डनर्स/हार्डनर, विनाइल इस्टर आसंजक (वीड़िए) और पबन चालित विद्युतीय जनरेटर्स के लिए रोटोर ब्लेड्स के निर्माण के लिए उपयोग किए गए इपोक्सी रेजिन के लिए उत्पाद शुल्क शून्य से बढ़ाकर 6% कर दिया गया।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्तों के अध्यधीन पबन चालित विद्युतीय जनरेटर्स के रोटोर ब्लेड्स के पूर्जों और छोटे पूर्जों मध्यस्थ पूर्जों और रोटोर ब्लेड्स के विनिर्माण के लिए कार्बन पल्ट्रसिअन्स पर उत्पाद शुल्क 12.5% से घटाकर 6% कर दिया गया।
- तलवा और ऐड़ी के लिए रबड़ शीट एवं रेजिन रबड़ शीट पर उत्पाद शुल्क अपकेन्द्री पम्प के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक मोटर, शाफ्ट, स्लीव, चैम्बर, इम्पेलर, वाशर पर उत्पाद शुल्क 12.5 से घटाकर 6% कर दिया गया।
- फुटवियर की सभी श्रेणियों के लिए आएसपी आधारित उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ खुदरा बिक्री मूल्य से कम हुई दर 25% से 30% कर दी गई।
- मूल उपस्कर विनिर्माता के रूप में मोबाइल फोन विनिर्माताओं को आपूर्ति हेतु चार्जर/एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हैंडसेट पर आईटीसी सहित 12.5 अथवा आईटीसी के बिना 2% उत्पाद शुल्क प्रदान किया गया।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्तों के अध्यधीन मोबाइल फोन के चार्जर/एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हैंडसेट स्पीकर के निर्माण के लिए इनपुट पार्ट्स और घटकों को उत्पाद शुल्क मुक्त रखा गया है।
- रूटर्स, ब्रॉडबैण्ड मॉडल्स इन्टरनेट तक पहुंच बनाने के लिए सेट-टॉप बॉक्स, टीवी के लिए सेट-टॉप बॉक्स, डीजिटल विडियो रिकार्डर/नेटवर्क विडियो रिकोर्डर, सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा, लिथियम इओन बैटरी (जो मोबाइल हैन्डसेट के लिए है उन्हें छोड़कर) के लिए आईटीसी के साथ 12.5% आईटीसी के बिना 4% उत्पाद शुल्क नियत किया गया है।
- एल्युमीनियम फॉयल से बने डिसपोजेबल कन्टेनर्स पर आईटीसी के साथ 6% उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
- बिना किसी समय सीमा के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर 6% रियायती उत्पाद शुल्क।
- 6% रियायती उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ एचवी हेतु इंजन (अटाकिनसन साइकल) से ग इवी (हार्डब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन) हेतु इंजन तक का विवरण परिवर्तित किया गया।
- नागर विमान महानिदेशालय द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन हवाई जहाज के रख-रखाव, मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत करने के लिए एमआरओ द्वारा प्रदान की गई टूल्स और टूल्सकिट पर उत्पाद शुल्क की छूट बढ़ा दी गई।
- अभिलेखों पर आधारित हवाई जहाज के पूर्जों, परीक्षण उपकरणों के रख-रखाव के लिए टूल्स और टूल किट मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत किए गए पूर्जों पर उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा लेने के प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था।

#### ii. कारोबार को सुगम बनाना

##### सीमा शुल्क

- विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों और संविदाओं, मार्जिनल फील्ड पॉलिसी और कोल बेड मीथेन पॉलिसी के अंतर्गत पेट्रोलियम की खोज के लिए आयातित विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क से दी गई छूटों, को विशिष्ट वस्तुओं और स्थितियों की एकीकृत सूची के साथ एकल छूट में आमेलित किया गया।

##### उत्पाद शुल्क

- अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित 13 उपकर जिनमें से प्रत्येक से राजस्व संग्रह प्रतिवर्ष ₹50 करोड़ से कम है, उन्हें समाप्त कर दिया गया।

#### iii. जीएसटी की ओर बढ़ना तथा कर आधार को विस्तृत करना

- सभी बांड वाले तैयार परिधानों तथा तैयार वस्तुओं पर जिनका खुदरा बिक्री मूल्य, 1000 अथवा अधिक है, उत्पाद शुल्क, 'बिना आईटीसी' के शून्य अथवा आईटीसी के साथ 6%/12.5% से बदलकर 'बिना आईटीसी' के 2% अथवा आईटीसी के साथ 12.5% कर दिया गया था।
- आभूषण की वस्तुओं (इनमें चांदी के आभूषण शामिल नहीं, हीरे अथवा अन्य कीमती पत्थरों से जड़े अन्य आभूषणों को छोड़कर) से उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली गई तथा सरल अनुपालन पद्धति के साथ वर्ष में ₹6 करोड़ तक की आरंभिक सीमा छूट तथा ₹12 करोड़ की पात्रता सीमा सहित बिना आईटीसी के 1% अथवा आईटीसी के साथ 12.5% उन पर आरोपित किया गया।
- केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण की वस्तुओं पर 1% उत्पाद शुल्क (निविष्टि तथा पूंजी वस्तु क्रेडिट के बिना) निर्धारित किया गया। इसके अलावा, विशेष कीमती धातु के आभूषण की वस्तुओं अथवा आभूषण की वस्तुओं के हिस्सों अथवा दोनों के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए।

#### iv. स्वच्छ भारत

- कोयले, लिमाइट और पीट पर लगाए गए 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' का पुनः नामकरण 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' किया गया तथा दर को ₹200 प्रति टन से बढ़ाकर ₹400 प्रतिटन किया गया।

#### v. अतिरिक्त संसाधन जुटाना

- वातित पेय लेमोनेड और अन्य पेय, जिनमें चीनी अथवा अन्य मिठासकारी पदार्थ अथवा सुगंध समाहित होती है, पर उत्पाद शुल्क 18% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया।
- शीर्षक 8703 की विशिष्ट छूटों के साथ मोटर वाहनों पर अवसंरचना उपकर लगाया गया जो निम्नलिखित है:
  - 4 मी॰ से कम की लंबाई के पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी चालित मोटर वाहन तथा 1200 सीसी से कम की इंजन क्षमता -1%
  - 5मी॰ से कम की लंबाई के डीजल चालित मोटर वाहन तथा 1500 सीसी से कम की इंजन क्षमता -2.5%
  - उच्च इंजन क्षमता के अन्य मोटर वाहन तथा एसयूवी और बड़ी गाड़ियां -4%
- क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत विमान को सप्लाई किए जाने वालं ईंधन को छोड़कर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया।

#### vi. राहत उपाय

##### सीमा शुल्क

- प्रशीतित कन्टेनरों पर बीसीडी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- ब्रेल पेपर पर बीसीडी से छूट-अवधि बढ़ा दी गई।
- कृत्रिम यकृत के डिस्पोजेबल स्टेरेलाइज्ड डायालाइज़र तथा माइक्रो बैरियर पर बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीबीडी और एसएडी से छूट दी गई।

##### उत्पाद शुल्क

- प्रशीतित कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 12.5% से घटाकर 6% कर दिया गया।
- लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर के उपले, ब्रिकेट तथा कोयला जलाने के लिए घुंआरहित चूल्हों सहित उन्नत चूल्हों पर उत्पाद शुल्क बिना शर्त के समाप्त कर दिया।
- सोलर लैम्प को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई।

#### vii. जन स्वास्थ्य

- सिगारेट, सिगार, चुरूट एवं सिगारीलो तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया गया।
- पान मसाला, गुटका, कच्चे तम्बाकू, चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगन्धित तंबाकू तथा छनी हुई खैनी पर लगभग मूल उत्पाद शुल्क 15% बढ़ाया गया।

#### ( ग ) सेवा कर के अंतर्गत उपाय

##### i. कर आधार का विस्तार तथा जीडीपी और कर के अनुपात में बढ़िया करना।

- बजट 2016-17 में, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक संस्थानों को दी जाने वाली सभी सेवाओं पर कर लगाने के इससे पूर्व के बजट में किये गये प्रावधान को 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त किया गया।
- 1 जून 2016 से कृषि कल्याण उपकर सभी करयोग्य सेवाओं पर ऐसी कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर 0.5% की दर से लगाया गया।
- वातानुकूलित वाहन द्वारा सामान के साथ अथवा सामान के बिना यात्रियों के परिवहन पर सेवा कर से दी गई छूट वापस ले ली गई।
- रोपवे, केबल कार अथवा एरियल ट्राम वे द्वारा सामान के साथ अथवा सामान के बिना यात्रियों के परिवहन के परिवहन पर सेवा कर से दी गई छूट वापस ली गई।
- मोनोरेल, अथवा मेट्रो से संबंधित 1 मार्च, 2016 के पश्चात् प्रभावी होने वाली संविदाओं के संबंध में मूल निर्माण कार्यों का निर्माण ढांचा खड़ा करना, चालू करना अथवा प्रनिष्ठापन के संबंध में सेवाकर से दी गई छूट वापस ली गई।
- 1 दिसंबर 2016 से आनलाइन सूचना तथा डाटाबेस पहुंच अथवा पुनः प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवाओं जो वाणिज्य, उद्योग अथवा, किसी अन्य कारोबार अथवा पेशे के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के संबंध में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा गैर कर योग्य क्षेत्र (सेवाओं की सीमा पर आपूर्ति) में स्थित सेवा प्रदाता से प्राप्त होती है, के प्रावधान पर सेवाकर पर दी गई छूट वापस लेना।
- भारतीय पोत परिवहन उद्योग को समान और उपयुक्त अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत आने वाली वस्तुओं के संबंध में किसी विदेशी चार्टरर को विदेशी फ्लैगशिप द्वारा आयात भाड़ा सेवा के लिए दी जाने वाली छूट 22 जनवरी, 2017 से समाप्त कर दी गई।

##### ii. व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने हेतु।

##### सेवा कर से छूट

- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अन्य किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को कुछ अपवादों के साथ प्रदान की गई सेवाएं;

- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई व्यवसाय या कारोबार कर रहा हो, प्रदान की गई निर्दिष्ट सेवाएं;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा (i) विधि के तहत अपेक्षित पंजीकरण; (ii) यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण, जांच या प्रमाणन के लिए प्रदान की गई सेवाएं;
- कृषि के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्तिगत कृषक को प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के रूप में सेवाएं;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भूमि-उपयोग के विनियमन, भवनों के निर्माण और अन्य सेवाओं के लिए दी गई सेवाएं;
- किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त करने हेतु, एकबारगी संदेय पूर्ण अपफॉट या किस्तों में संदेय सेवा कर और यह 01.04.2016 से पूर्व दिए गए स्पैक्ट्रम के संबंध में 01.04.2016 के पश्चात् देय वार्षिक किस्तों और वर्ष 2015-16 के लिए 01.04.2016 के बाद संदेय स्पैक्ट्रम उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस फीस के संबंध में समनुदेशिती द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित किसी आवधिक भुगतान के लिए न हो।
- सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को संदेय जुर्माने और परिनिर्धारित हर्जाने।

**यह स्पष्ट किया गया कि:**

- उद्घाटित कर, उपकर या प्रशुल्क अथवा शास्ति ऐसी किसी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल नहीं हैं और इसलिए सेवा कर उद्घाटणीय नहीं है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्रतिफल के लिए किया गया कोई ऐसा कार्यकलाप जो किसी सेवा के अंतर्गत आता है और ऐसे कार्यकलाप करने के लिए प्रभारित धनराशि पर सेवा कर देय है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारोबारी कंपनी को प्रदत्त सेवाओं के मामले में कराधान की तारीख उन तारीखों में से पहले की तारीख हरेगी जिस तारीख को: (क) ऐसी सेवा के लिए कोई भुगतान पूर्णतः या अंशतः, देय हो जाता है या (ख) ऐसा भुगतान कर दिया जाता है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारोबारी कंपनी को प्रदत्त किसी सेवा के मामले में आस्थगित भुगतान पर प्रभार योग्य ब्याज, जहां ऐसी सेवा के लिए भुगतान को ब्याज संदाय करने पर अस्थगित किए जाने की अनुमति दी जाती है, कर योग्य सेवा के मूल्य में शामिल किया जाएगा;
- किसी वर्ष में संदत्त एक बारगी प्रभारों (चाहे वह अग्रिम संदत्त या किस्तों में हो) पर सेवा कर का सेनेवैट क्रेडिट 3 (तीन) वर्ष की अवधि में समान रूप से लिया जाना अनुमत होगा। किंतु, स्पैक्ट्रम के व्यापार पर सरकार द्वारा प्रभारित स्पैक्ट्रम उपभोक्ता प्रभारों, लाइसेंस शुल्क, अंतरण शुल्क पर संदत्त सेवा कर उसी वर्ष में लागू होगा किस वर्ष में इसका भुगतान किया गया होगा इसी प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित रायल्टी पर संदत्त सेवा कर और कोई आवधिक संदाय उसी वर्ष में क्रेडिट में उपबंध होगा जिस वर्ष इसे संदत्त किया गया हो;
- किसी विवाचन अधिकरण (अधिकरण के व्यष्टि विवाचकों सहित) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सेवा कर देयता सेवा प्राप्तिकर्ता पर होगी यदि यह पूर्वगामी वित्त वर्ष में दस लाख से अधिक का लेनदेन करते हुए कर योग्य भूक्षेत्र में स्थित कोई व्यावसायिक कंपनी हो;
- यह निदेश दिया गया कि सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6(2) के तहत क्षेत्राधिकारगत उप/सहायक आयुक्त द्वारा निहित विवेक का प्रयोग न्यायोचित और युक्तिसंगत ढंग से किया जाएगा;
- मालों को किराये पर, पट्टे पर लेने या उनके लाइसेंसिंग से युक्त किसी विशिष्ट मामलों में, यह तय करना अनिवार्य है कि क्या, संविदा की दृष्टि से, मालों का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित किया गया है या नहीं। भारत संचार नियम लि. बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड, 2006(2) एसटीआर 161 एससी = 2006-टीआईओएल-15-एससी-सीटी-एलबी में उल्लिखित, का मालों को किराये पर, पट्टे पर लेने या उनके लाइसेंसिंग से युक्त मामलों में विशिष्ट रूप से अनुपालन और अनुप्रयोग किया जाएगा;
- अधिसूचना 25/2012-सेवा कर के क्रमांक 12(ड) और 25 (क) में दी गई प्रविष्टियों के तहत वर्णित छूट में सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदत्त व्यापक दायरे वाले कार्यकलाप/सेवाएं आएंगी और इनमें द्यूबबेल के निर्माण संबंधी कार्यकलाप शामिल होंगे।
- धार्मिक स्थल के आसन्न पड़ोस और ईर्द-गिर्द में स्थित तथा धार्मिक स्थल के स्वामित्वाधीन या धार्मिक स्थल के रूप में एक ही प्रबंधन के अधीनस्थ अचल संपत्ति के बारे में यह विचार किया जा सकता है कि वह धार्मिक स्थल के पड़ोस में स्थित है और उस पर अधिसूचना सं 25/2012-सेवा कर क्रमांक 5(क) के तहत छूट का लाभ दिया जा सकता है।

\*\*\*\*